भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 7.9.17

मि.न.103 / 17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 रकबा 12.50 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001 है0 पर मातादीन पुत्र सुरजाराम जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुक्ता दुकान बना कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल मातादीन पुत्र सुरजाराम जाति मीणा निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर पुक्ता दुकान बनाकर अतिकमण अवैध अतिकमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिकमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिकमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः मातादीन पुत्र सुरजाराम जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर अतिकमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर पुक्ता दुकान को ध्वस्त करवाया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशी 0.02 का पचास गुणा 1रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2017 ... 018 ... के क्र० ... पृष्ठ संख्या 82 पर 172 इन्द्राज किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली